14.06.2024 वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज सिगह से तलब की गई। पत्रावली पैश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने निवदेन किया कि वाद प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । बहस के दौरान वकील वादी ने तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त विभाजन के अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सालरिया प0ह0 मण्डपिया भू0अ0नि0 आटूण तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

1. नारायण लाल पिता केदारलाल जाति लढढा सा0 2 एफ 11 आर.सी. व्यास कालोनी भीलवाडा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
89	0.3035	—
90/1	0.2655	—
किता 02	**0.5690 है0**	—

2. डाली पुत्री माधु 7/76 जाट, तुलसी पुत्री माधु 1/76 जाट, बद्री पुत्र माधु 7/76 जाट, बरदा पुत्र मेघा 30/76 जाट, शंकर पुत्र काशी 30/76, जाट रहन आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा भीलवाडा, सोहनी पुत्री माधु जाट 1/76 जाट सा0 देह खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

[illegible] आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
91	0.4552	—
90/2	2.6429	—
किता 2	**3.0981 है0**	

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तद्नुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफतर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं [illegible]
पदेन सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

उनवान

1–नारायणलाल पिता केदारमल लढा निवासी 02 एफ 11 आर0सी0व्यास कालोनी भीलवाडा।

––वादी

बनाम

1–डाली पुत्री माधु जाट निवासी सालरिया तहसील व जिला भीलवाडा।
2–तुलसी पुत्री माधु जाट निवासी सालरिया तहसील व जिला भीलवाडा।
3–बद्री पुत्र माधु जाट निवासी सालरिया तहसील व जिला भीलवाडा।
4–बरदा पुत्र मेघा जाट निवासी सालरिया तहसील व जिला भीलवाडा।
5–शंकर पुत्र काशी जाट निवासी सालरिया तहसील व जिला भीलवाडा।
6–सोहनी पुत्र माधु जाट निवासी सालरिया तहसील व जिला भीलवाडा।
7–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0

प्रकरण संख्या 92/2024 राजस्व वाद

वादी की ओर से अधिवक्ता श्रवण कुमार सैन उपस्थित व प्रतिवादीगण अनुपस्थित में– इस वाद में आज तारीख 14.06.2024 को पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत अन्तिम डिक्री दी जाती है –

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सालरिया प0ह0 मण्डपिया भू0अ0नि0 क्षैत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है उसी अनुसार भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. नारायण लाल पिता केदारलाल जाति लढढा सा0 2 एफ 11 आर.सी. व्यास कालोनी भीलवाडा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
89	0.3035	–
90/1	0.2655	–
किता 02	**0.5690 है0**	–

1. डाली पुत्री माधु 7/76 जाट, तुलसी पुत्री माधु 1/76 जाट, बद्री पुत्र माधु 7/76 जाट, बरदा पुत्र मेघा 30/76 जाट, शंकर पुत्र काशी 30/76, जाट रहन आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा भीलवाडा, सोहनी पुत्री माधु जाट 1/76 जाट सा0 देह खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
91	0.4552	–
90/2	2.6429	–
किता 2	**3.0981 है0**	

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Ahad

पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा